

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-309/16 श्र0सं0-

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

137

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
रोहतास(सासाराम)/भोजपुर(आरा) ।

पटना, दिनांक :-

12-1-17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2204 दिनांक-19.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च 2017 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	रोहतास (सासाराम)	01	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	100000/- (एक लाख)	श्रम अधीक्षक, रोहतास, डालमियानगर के पत्रांक-610, दिनांक-14.12.16 के आलोक में स्व० सुधीर कुमार, आश्रित-प्रेमलता देवी (माता), ग्राम-अवादी, प्रखंड-दावथ, जिला- रोहतास के भुगतान हेतु ।
2	भोजपुर (आरा)	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-749 एवं 750 दिनांक-30.12.16 के आलोक में (1) स्व० विशेस्वर राम, आश्रित- मु० रेखा देवी(पत्नी) ग्राम+पो.-सिकरहटा कलौ थाना- सिकरहटा, प्रखंड-तरारी, जिला- भोजपुर (2)स्व. नन्दजी राम, आश्रित-मु. रजेन्ती देवी (पत्नी), ग्राम+पो.-बड़कागाँव थाना+प्रखण्ड-तरारी, जिला-भोजपुर के भुगतान हेतु ।
कुल योग		03		300000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख) मात्र ।

- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैंक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली,2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

12/1/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

